Scan & upload 20/4/22

AFRI-GST NO.-GSTIN 08AAAAI 1708G1ZI

सत्यमेव जयते

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005
ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
Indian Council of Forestry Research & Education,
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment,Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

कमांक 74 /शुवअसं/सुएवंसे/कय/सुएवंसे(जएवंबिप्र)/201-II/2022 दिनांकः 18 अप्रेल, 2022

सेवा में
....,
....,
....

विषयः– AMC of Aquaguard Water Purifier/RO Systems Units के कोटेशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित शर्तो के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। विषय लिखा हुआ बंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 09.04.2022 दोपहर 3.00 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 09.05.04.2022 को 4.00 बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे।

क्र सं	विवरण	वाटर प्योरिफायर सिस्टम लगे है– वो जगह	मात्रा
01	**Comprehensive AMC of Aquaguard Water purifier /RO systems units fitted attached to water coolers at various official places/ buildings of AFRI Institute, Jodhpur for one years from the date of start of AMC**	01. Director Office-RO unit (RAVIVA)(RO + UV + TDS) 8 L, storage.	01
		02. Guest House- RO unit (RAVIVA)(RO + UV + TDS) 8 L, storage.	01
		03. Scientist Hostel – RO unit(RAVIA)(RO + UV + TDS) 8 L,storage.	01
		04. Nursery – High Flow	01
		05. Extension Building- High Flow	01
		06. Nr. Account Section – Compact Cartridge	01
		07. Library- Classic	01
		08. Canteen –Compect Cartidge	01
		09.Director resident-RO+UV (Enhance)	01

शर्तें–

1. लिफाफे पर " AMC of Aquaguard Water Purifier/RO Systems Units के कोटेशन" अवश्य लिखे।
2. कोटेशन में फर्म की जी.एस.टी का नम्बर का स्पष्ट उल्लेख कया जाना होगा।
3. कोटेशन में जी.एस.टी की दर का का स्पष्ट उल्लेख कया जाना होगा।
4. कार्यादेश की कुल राशि का 20 प्रतिशत तीन महिनों के बाद, 20 प्रतिशत छः महिनों के बाद, 20 प्रतिशत नौ महिनों के बाद एवं शेष राशि बारह महिनों के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
5. उक्त कार्य हेतु प्रति माह में एक बाद या प्रभारी अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर तुरन्त मैकेनिक को भिजवाना होगा।
6. उक्त कार्य में लगने वाले नये सामानों का अलग से भुगतान नही किया जायेगा। पुराना सामान आप द्वारा ही रखा जायेगा।
7. आपूर्ति आदेश में दर्शायी गई सामग्री/कार्य नियत समयावधि में संतोषजनक रूप से आपूर्ति होने/कार्य होने के पश्चात ई–भुगतान से भुगतान किया जाएगा।
8. कोटेशन में प्रस्तावित मात्रा को सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपूर्ति आदेश/कायदिश में बढाया या घटाया जा सकता है।
9. कोटेशन में दर्शायी सामग्री/कार्य की विशिष्टियां के अनुसार नही मिलने पर कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा/नहीं माना जाएगा।
10. यदि मुद्रित साहित्य,परिचालन मैनुअल आदि के कोटेशन होते है,तो फर्म को अधिकृत विकेता के प्रमाण पत्र की एक प्रति कोटेशन के साथ प्रस्तुत की जानी होगी।
11. कोटेशन की प्राप्ति तारीख से सामग्री/कार्य की दर 6 महीने के लिए वैध मान्य होगी।

आवक क्र./Inward No. : 21/IT/AFRI/Ju/........
दिनांक/Dated: 20/4/2022

12. आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाने पर आपको माल/कार्य आपूर्ति आदेश/कार्यादिश में दर्शायी अवधि तक पूरी मात्रा में पहुचाना होगा/पूर्ण करना होगा।

13. आपको जारी आपूर्ति/कार्य आदेश में दर्शायी अवधि में परिवर्तन किया जाना है, तो आपूर्ति/कार्य आदेश की जारी तिथि से सात दिवस के अन्दर सूचित करना होगा। यदि आप माल पहॅुचाने का समय आपूर्ति आदेश की जारी तिथि से सात दिन के अन्दर सूचित नही करते है तो यह माना जाएगा कि आपके प्रस्तावित समय के अन्दर माल/कार्य पहॅुचाना/करना स्वीकार कर लिया है, क्योंकि समय ही इस प्रस्ताव की सार वस्तु है।

14. प्रस्तावित समय के अन्दर आपको माल/कार्य पहॅुचाने/कार्य पूर्ण करने की विफलता की स्थिति में सक्षम अधिकारी, अन्यत्र से माल खरीदने/कार्य करवाने तथा उनकी कीमतों में जो अन्तर आएगा उसे वसूल करने का अधिकारी होगा।

15. माल किराया भाडा चुकाते हुए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर पहॅुचाना होगा और उसे अन्य स्थान पर दिया जाना हमें स्वीकार नही होगा।

16. व्यापार की शर्तो का ब्यौरा जैसे पैकिंग और प्रेषण व्यय, माल पहॅुचाने की अवधि,ब्रिकी कर,जी.एस.टी. तथा अन्य कर/प्रभार, यदि कोई हो, माल पर बट्टा मिलने की वैध अवधि, निःशुल्क माल पहॅुचाई,पैकिंग या कोई भी अन्य जानकारी जो आपूर्ति/कार्य से संगत हो, दी जाए।

17. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री या कार्य की पूरी विशिष्टियों, ब्यौरा व अन्य जानकारी जैसे–निर्माता, आकार इत्यादि दी जाए तथा छपा साहित्य और नमूने जहाॅ संभव हो भेजे जाएं।

18. कृपया यह नोट करे कि सरकारी आदेश के अनुसार कोई बीमा शुल्क नही दिया जा सकता है। सामग्री/कार्य को कोटेशन के अनुसार सही हालत में पहॅुचाने/कार्य करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता/कार्य करने वाली फर्म की है और टूट–फूट,चूने,टपकने से हुई कमी की हालत में क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता के बिल से काटी जायेगी।

19. कोटेशन लैटर हैड पर ही स्वीकार किये जाऐंगे। सादा पेपर पर या लेटर हैड की छायाप्रति पर दरे भर कर मोहर लगा कर दिये जाने वाले कोटेशन को स्वीकार नही किया जाऐगा।

20. कोटेशन में दी गई दरों में काट–छाट होने पर अपने हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा और अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते है।

21. कोटेशन में फर्म को पैन/टिन/जी.एस.टी.नम्बर इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।

22. कोटेशन में दर, जी.एस.टी.एवं अन्य करों का अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा और दर में जी.एस.टी. एवं अन्य कर शामिल है या नही का स्पष्ट किया जाना होगा।

23. कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में पोस्ट/स्पीड पोस्ट में नियत समयावधि में क्रय अनुभाग में भिजवाना होगा और क्रय अनुभाग में रखे "निविदा पेटी" (Tender Box) से कोटेशन नियत तिथि को निकाल कर खोले जाऐगें।

24. निदेशक,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और किसी भी विवाद के मामले में निदेशक,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर का निर्णय बाध्यकारी होगा।

25. कोटेशन में कुल राशि का योग एक लाख या अधिक होने पर फर्म को कुल राशि का 2 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि भारत की किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवायी जायेगी। **धरोहर राशि जमा नही करवाने पर आपके कोटेशन को स्वीकार नही किया जायेगा।** आपकी फर्म के राष्ट्रीय लघु उधोग निगम से पंजीकृत होने पर धरोहार राशि जमा करवाने की कोई आवश्यकता नही है। आपकी फर्म के राष्ट्रीय लघु उधोग निगम से पंजीकृत होने के साक्ष्य कोटेशन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है और साक्ष्य प्रस्तुत नही होने पर आपके कोटेशन को स्वीकार नही किया जायेगा।

26. आपूर्ति आदेश/कार्यादेश जारी करते समय उक्त शर्त एवं आपूर्ति आदेश/कार्यादेश में दर्शाये शर्ते मान्य होगी।

27. कोई भी सामग्री मैड इन चाईना का नही होनी चाहिए।

28. कोटेशन का विवरण हमारी वेब साइट– **https://afri.icfre.org** पर भी उपलब्ध है।

29. अधिक जानकारी के संबंध में डॉ. बिलास सिंह ,मुख्य तकनीकी अधिकारी से सम्पर्क करें। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोटेशन प्रस्तुत करें।

भवदीय,

8/4/2022

(मनोज चौहान)

क्रय अधिकारी

प्रतिलिपिः– कोटेशन खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करेंः

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी,जल एवं बिजली प्रकोष्ठ द्वाराःप्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी,सूचना एवं प्रौधोगिकी प्रकोष्ठ,सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर– आपसे अनुरोध है कि यह कोटेशन आमंत्रण पत्र सूचना को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
4. सूचना पट्ट